न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2016RAAJu225RTA106 Duragsingh etc Vs Sukhdeo etc

1. दुरगसिंह पुत्र जदारसिंह राजपूत, निवासी बापिणी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी रमेश चन्द्र जाट, निवासी पृथ्वीपुरा, रसाला रोड जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. सुखदेव पुत्र लालाराम ब्राह्मण
2. अणचकंवर पत्नी भोजराजसिंह राजपूत
3. चेनसिंह पुत्र भोजराजसिंह राजपूत
4. जोरसिंह पुत्र भोजराजसिंह राजपूत
5. मगसिंह पुत्र भोजराजसिंह राजपूत
6. (नाम विलोपित)
7. अनोपसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत
8. अजमालसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत
9. माडूकंवर पत्नी आईदानसिह राजपूत
10. जुगतसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
11. (नाम विलोपित)
12. तखतसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
13. रूपसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
14. भागीरथराम पुत्र छोगाराम ब्राहम्ण निवासीगण बापिणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
15. तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसिया, दिनांक 05 जुलाई 2016 राजस्व प्रकरण संख्या 70/2010 सुखदेव व अन्य बनाम दुरगसिंह इत्यादि

----- 0 -----

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुरेश जोशी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 व 10
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 15
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसिया द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 70/2010 सुखदेव व अन्य बनाम दुर्गसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 05 जुलाई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 अगस्त 2016 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने ग्राम बापिणी के खसरा संख्या 1013 रकबा 102 बीघा 12 बिस्वा के संबंध में एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। अप्रार्थी-अपीलाण्ट ने उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर खण्डन किया। उक्त प्रार्थनापत्र विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थी-रेस्पो. की ओर से एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी पेश कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2016 को खारिज कर दिया गया एवं मूल प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1013 रकबा 102 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा बापिणी बाबत ता-फैसला दावा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रखने के आदेश जारी किये गये, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अव्वल तो अधीनस्थ न्यायालय को बेचान एग्रीमेण्ट के आधार पर किसी प्रकरण में सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार उपलब्ध ही नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकारविहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है। दोयम, अपीलाण्ट संख्या एक ने दिनांक 19 अगस्त 1985 या अन्य किसी दिन रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किसी प्रकार का कोई बेचान इकरार वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि के बेचान बाबत नहीं किया है और न ही कोई बेचान या अन्य किसी प्रकार से अपने हिस्से की भूमि का अन्तरण रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किया है। अपीलाण्ट संख्या एक द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 06 अगस्त 2010 को अपीलाण्ट संख्या दो के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख किया गया है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट संख्या दो ने प्रार्थी-रेस्पो. एक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2013 को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23 जनवरी 2013 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 75/2013 भंवरीदेवी बनाम राधेश्याम का दिनांक 24 जनवरी 2014 को निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया गया कि दोनों मामलों को समन्वित कर उभय पक्षकारान की सुनवाई करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्देशों की पालना किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली बहस हेतु विचाराधीन थी, लेकिन दिनांक 05 जुलाई 2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र बापिणी में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिसके संबंध में कोई समुचित सूचना भी अपीलाण्ट्स को नहीं दी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट संख्या एक वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार है और अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने हिस्से की भूमि का बेचान अपीलाण्ट संख्या दो के पक्ष में किया है। अपीलाण्ट संख्या दो एक सद्भावी केता है जिसने मूल्यवान प्रतिफल चुका कर विधिवत पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट संख्या एक से कय की है। बेचान इकरार की वैधता, उसके आधार पर रेस्पो. संख्या एक को अर्जित अधिकारों आदि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विवेचन अथवा विनिश्चियन किया जाना प्रासंगिक नहीं है। वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द अथवा उसकी प्रकृति को विनष्ट किये जाने का कोई अंदेशा भी जाहिर नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अदालत हाजा के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए, पक्षकारान के कब्जे की स्थिति अभिलेख पर स्पष्ट किये बिना रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना किसी भी सूरत में समर्थन किये जाने योग्य एवं विधिसम्मतः नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल दावा विचाराधीन रहने तक वादग्रस्त आराजी बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान को पाबन्द करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, इससे किसी पक्षकार को कोई असुविधा अथवा अपूरणीय क्षति होने की कतई सम्भावना नजर नहीं आती है। इसके विपरीत यदि पक्षकारान को पाबन्द नहीं किया जाता है तो मौके पर पक्षकारान के मध्य नित्यप्रति तनाव की स्थिति बनी रहती और अनावश्यक वादकरण उत्पन्न होने की प्रचुर सम्भावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट संख्या एक वादग्रस्त आराजी के ½ हिस्से का सहखातेदार होना उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकृत तथ्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट संख्या एक द्वारा अपीलाण्ट संख्या दो के पक्ष में वादग्रस्त आरजी के ½ हिस्से बाबत निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 06 अगस्त 2010 की छायाप्रति उपलब्ध है। **स्वयं प्रार्थी-रेस्पो. के अनुसार अपीलाण्ट संख्या एक के द्वारा उसके पक्ष में बेचान का एग्रीमेण्ट मात्र किया गया है, बेचान-एग्रीमेण्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक को वादग्रस्त आराजी बाबत कोई हक-हकूक प्राप्त नहीं होते है।** यद्यपि बेचान एग्रीमेण्ट के संबंध में राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार, पक्षकारान को उपलब्ध अधिकार एवं दायित्व इत्यादि के संबंध में मूल वाद में विनिश्चित किया जाना है, किन्तु प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि मात्र अपंजीबद्ध बेचान इकरार के आधार पर प्रार्थी-रेस्पो. को प्रथम दृष्टया किसी रिकार्डेड खातेदार अथवा पंजीबद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विकय विलेख से कय करने वाले केता पर वरीयता प्रदान नहीं की जा सकती है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जुलाई 2016 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर